न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या ::– 16/2016

1. श्रीमती गणेश देवी विधवा पत्नि अमरसिंह जी लोढा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. अनिल आत्मज स्व0 अमरसिंह जी लोढा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. लोकेश आत्मज स्व0 अमरसिंह जी लोढा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये कलेक्टर साहब चितौडगढ
2. श्रीमान तहसीलदार ससाहब बेगूँ भूमिधारी

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री एन0एन0ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार बेगूँ
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक ::– 28-03-2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार से है कि वादी सं0 1 के पति एवं वादी सं0 2 व 3 के पिता स्व0 अमरसिंह जी आत्मज कैसरीमल महाजन निवासी बेगूँ का मौजा काटून्दा तह0 बेगूँ की आराजी नम्बर 426 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमित पर कदीम से अतिक्रमण चला आरहा था जिस पर सम्वत 2038 से तो अतिक्रमण रेकार्ड अनुसार भी माना गया और अतिक्रिमण होने से यह भूमि स्व0 अमरसिंह जी लोढा को जरिये प्रकरण संख्या 3663/दिनांक 6.6.83 को आवंटित की गई व पत्थर की कोट की कीमत भी वसूल की गई।

कि तत्पश्चात इस आराजी का इंतकाल संख्या 378 भी स्व0 अमरसिंह जी के नाम खोला जाकर इसके आ0नं0 426/2 डाले गये किन्तु बादमे तकनीकी कारणों से आवंटन निरस्त किया जाकर यह भूमि बिलानाम सरकार अंकित कर दी गई किन्तु स्व0 अमरसिंह जी का कब्जा यथावत रहा और उनका अतिक्रमण कभी नहीं हटाया गया।. इसी बीच श्री अमरसिंह जी का 2 जनवरी सन 2012 को स्वर्गवास हो गया। वादीगण उनकी विधवा पत्नि एवं पुत्र होकर उनकी समस्त चल अचल संपति जिसमें यह आराजी भी शामिल है काबिज चले आ रहें है।

यह कि हाल में वादीगण को यह ज्ञात हुआ कि यह आराजी बिलानाम अंकित हो गयी हैं जैसा कि पटवार हल्का द्वारा बताया गया है, क्यो कि वादीगण को इस बारे में कोई जानकारी नही थी क्यो कि स्व0 अमरसिंह जी ही इस प्रकरण में सारी कार्यवाही करते थे, जबकि आराजी पर कब्जा स्व0 अमरसिंह जी का और उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण का लगभग 40 वर्षो से लगातार चला आ रहा है जिससे भी वादीगण का पजेश्नरी टाईटल भी बन चुक्रा है। अपने आपको इस आराजी के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हो गये है।

यह कि बिनाय दावा दिनांक 01 जून 2014 से शुरू होती है जबकि वादीगण को आराजी के बिलानाम होने की जानकारी हुई एवं नोटिस-दिनांक 24.06.2014 से भी शुरू होती है जिसका प्रतिवादीगण की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया है। जो प्रतिदिन हो रही है। यह आराजी मौजा काटून्दा तह0 बेगूँ में स्थित और पक्षकारान भी तहसीलदा बेगूँ के निवासी है और काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत यह वाद घोषणा हेतु पेश किया जा रहा है जो समायत न्यायालय आप है।

यह कि वाद राजस्थान राज्य व उसके अधिकारीयो के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है जिन्हे धारा 80 जा0दी0 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 24.06.2014 को दिया गया जिसको 2 माह की अवधी होने के पश्चात भी न तो कोई उत्तर प्राप्त हुआ और न ही नोटिस की कोई पालना ही की गई।

वादी की प्रार्थना है कि ::–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

(ए) पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि मौजा काटुन्दा तह0 बेगूँ की आराजी नम्बर 426/2 रकबा 2बीघा 10 बिस्वा ढाईबीघा वादीगण के खातेदारी की है और वादीगण के नाम बहैसियत खातेदार अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

(बी) खर्चा मुकद्मा प्रतिवादीग्गा से दिलवाया जावें।

(सी) अन्य सहायता जो मुफीद वादी हो प्रदान करायी जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार बेगूँ उपस्थित आए तथा इस वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया तथा वाद पत्र की सभी कलम संख्या 1 से 8 तक को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा के विशेष कथन में अंकित किया गया कि वादीगणो का कहना है कि ग्राम काटून्दा की आराजी संख्या 426 मे से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि री अमरसिंह पिता केसरीमल के नाम आवंटित हुई है। मगर उक्त भूमि आवंटन उपरान्त राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी चौसाला में आंतरिक उनके नाम पर दर्ज ही नहीं है। साथ ही उक्त भूमि पर इनका कब्जा होने के सम्बन्ध में साक्ष्य/ सबूत भी प्रस्तुत नहीं किये हैं। साथ ही आवंटित वर्ष से वादीगण ने आवंटन के पश्चात उक्त आराजी पर कया क्यो बुवाई की गई है दस्तावेज से इसकी पुष्टि नहीं होती है खसरा गिरदावरी भी संलग्न नहीं की गई है। वादीगण का वादपत्र आधार हीन होने से तथा मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से वाद निरस्त योग्य है।

यहॉ इस वादपत्र के निर्णय से पूर्व उल्लेख करना उचित होगा कि यह दावा पत्रावली में जवाबदावा राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने के पश्चात यह पत्रावली तनकी पत्र में विचाराधीन थी किन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक अदालत कैम्प में राजस्व प्रकरणो के निस्तारण के अभियान के दोरान इस दावा पत्रावली को " लोक अदालत कैम्प काटून्दा" पर वास्तु सुनवाई और निस्तारण हेतु दिनांक 09.06.2015 को रखाया गया तथा पत्रावली में सभी तथ्यों एवं सभी दस्तावेज एवं मौका आदि के सम्बन्ध में जॉच करते हुए इस दावा पत्रावली का निर्णय दिनांक 09.06.2015 को निम्न प्रकार से कियपा गया :–

" अतः वाद वादीगण का अ0धा0 88 असार0टी0एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।"

इस प्रकार इस वादपत्र न्यायालय द्वारा लोक अदालत केम्प काटून्दा पर रखाया जाकर दिनांक 09.06.2015 को खारिज किया जाने पर निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील वादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के न्यायालय में की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ द्वारा उनके निर्णय दिनांक 17.11.2015 को निर्णय निम्न प्रकार से दिया गया :–

" अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी , बेगूँ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2015 अपास्त किये जाते है और प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर उभयपक्षक की सुनवाई के पश्चात दुबारा निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाइ हेतु दिनांक 17.12.2015 को स्वयं उपस्थित रहे।"

दावा पत्रावली पुनः न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज की जाकर इस दावा पत्रावली में वादपत्र एव जवाब दावा के आधार पर निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई :–

1– आया कि मौजा काटुन्दा तहसील बेगू की आराजी नम्बर 426/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ढाई बीघा वादीण के खातेदारी की है और वादीगण के नाम बहैसियत खातेदार अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें ?

वादीगण

2– आया कि मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 426 मे से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्री अमरसिंह पिता केसरीमल के नाम आवंटित हुई है मगर उक्त भूमि आवंटन उपरान्त राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी चौसाला में आदिनांक उनके नाम पर दर्ज ही नहीं है तथा उक्त भूमि पर कब्जे काश्त व कब्जा होने

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

साक्ष्य प्रस्तुत ना किये जाने से वादीगण का वाद निरस्त किये जाने योग्य है?
प्रतिवादी
3– दादरसी ?

पत्रावली में माननीय राजस्व प्राधिकारी महोदय के निर्णय की पालना में वादीगण को साक्ष्य के अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली में वादीगण की ओर से साक्ष्य वादीगण में साक्ष्य शपथ पत्र वादी अनिल पिता स्व0 अमरसिंह जी लोढा व गवाह देवीलाल पुत्र कन्हैयालाल गुजर निवासी काटून्दा के व वादी लोकेश पिता स्व0 अमरसिंह जी लोढा के तथा गवाह खाना पिता रामलाल जी गुर्जर निवासी काटून्दा के प्रस्तुत किया गया है। मुख्य परीक्षण में वादी अनिल कुमार ने पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा किये जाने पर बताया कि जमीन काटून्दा मोड सुवाणिया रोड पर है जिसका आराजी नम्बर 426 होना बताया व जमीन उनके पिता जी के नाम आवंटन होने की जानकारी जिरह में देते हुए बताया कि पिता जी की मृत्यु के बाद नामान्तरण हेतु रिकोर्ड से जानकारी होने पर भूमि बिलाना पायी गयी । इसको हम ही काश्त कर रहे है सिजारे पर भंवरजी गुर्जर को दे रखी है। आवंटन निरस्तीकरण की जानकारी मुझ नहीं है आवंटन के बाद पुराने रिकार्ड के दस्तावेज मिलान सीट आदि मैने पत्रावली में प्रस्तुत किये है । पुनः परीक्षण निल रहा है। इस पत्रावली में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने पर प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई। इस दावा पत्रावली में सही न्यायनिश्चियन हेतु न्यायालय में मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित समझा तथा इस दावा पत्रावली में वाद वर्णित आराजी के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 3093 दिनांक 28.08.2024 के साथ भू–अभि0नि0 की रिपोर्ट व नकल जमाबंदी व नकल नामान्तरण के साथ रिपोर्ट इस दावा पत्रावली मे भिजवाई गई जिसमें अंकित किया गया कि वाद वर्णित आराजी मौजा काटूंदा पटवार हल्का काटूंदा की आराजी संख्या 426 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के मौके की वास्तविक स्थिति मय राजस्व रिकोर्ड के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की मांग की है उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में भू.अ.नि. काटून्दा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार काटून्दा की आराजी संख्या 426 रकबा 0.40 हैक्टर गीतादेवी पत्नि शांतिलाल धाकड निवासी मेघनिवास के नाम पर दर्ज है इसमें से 0.07 है पर वादी गणेश देवी व इनके वारिसान का कब्जा काश्त है।

भू–अभिलेख निरीक्षक काटून्दा की रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 426/1 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि को सामुदायिक स्वास्य केन्द्र काटून्दा के नाम पर एवं आराजी संख्या 2526/426 मे से 1.22 हैक्टर भूमि को राजकीय भवन एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया हुआ है। तथा आराजी संख्या 2598/426 मे रकबा 0.81 हैक्टर भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय काटून्दा के नाम होना बताया है। इस प्रकार आराजी संख्या 426 में काटून्दा में कोई भूमि नहीं है। इन सभी की नकलो को रिपोर्ट के संलग्न किया गया है।

पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने पर एवं वाद वर्णित आराजी के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट पत्रावली में प्राप्त होने पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। बहस में अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस वादपत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि वर्ष 1982 में वादीगण के पति व पिता को मौजा काटून्दा में आराजी संख्या 426 मे 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ था तभी से इस भूमि पर कब्जा होकर काश्त चली आ रही है। यह भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई तथा वादीगण को अतिक्रमी बताया गया इसकी जानकारी वादीगण को प्राप्त होते ही वाद कार्यवाही वादीगण द्वारा की गई तथा राज्य सरकार को दफा 80 जा.दी. का नोटिस दिये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर यह वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है तथा सभी दस्तावेज वादीगण के पक्ष में सिद्ध है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस में उपस्थित तहसीलदार बेगूँ ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण का कब्जा पूरा नहीं है। तथा अब मूल आराजी संख्या 426 मौजा काटून्दा में कोई रकबा शेष नहीं रहता है। वादीगण आराजी संख्या 426 की रकबा 2बीघा 10बिस्वा भूमि को अपने नाम पर खातेदार में घोषणा करा पाने के अधिकारी नहीं है। वादपत्र वादीगण का खारिज फरमाय जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख करते हुए तथा दस्तावेज के गुणावगुण के मध्यनजर पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– तनकी नम्बर 1 का निर्णय::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा इस दावा पत्रावली में अपने वादपत्र को सिद्ध कराने के लिए जो दस्तावेज पेश किये है उनमें प्रदर्श– 1 नकल नामान्तरण संख्या 378 है जिसमें बिलानाम सरकार की आराजी संख्या 426/1 कुल रकबा 15बीघा 10 बिस्वा भूमि मे से श्री अमरसिंह पिता केसरीमल महाजन सा. बेगूँ को 426/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन जरिये मिसल नम्बर 3663दिनांक 6.6.1983 से किये जाने पर भूमि अमरसिंह के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई है। तथा प्रदर्श– 2 मि0नं0 3663 सन 83 में दिनांक 6.6.83 को अमरसिंह पिता केसरीमल जाति लोढा निवासी बेगूँ को आराजी संख्या 426 रकबा 2बीघा 10 बिस्वा लगानी 1 रूप्या तथा सनदफीस 5 रूप्या एवं पत्थर कोर्ट राशि 106 रूप्ये वसूल किये जाने का आदेश है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा कादून्दा की सम्वत 2068 से 71 तक की प्रस्तुत की है जिसमें आराजी संख्या 2526/426 रकबा 1.22 हैक्टर भूकिम को श्री राजकीय भवन एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि जरिये नामा.सं. 1413 से अंकित किया गया है। तथा आराजी संख्या 2598/426 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि को राजकीय मध्यमिक विद्यालय कादुन्दा के खेल मैदान के लिए दर्ज रिकोर्ड किया हुआ है तथा आराजी संख्या 426/1 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कादुन्दा को 30 वर्ष की लीज पर दिये जाने का अंकन किया हुआ है। प्रदर्श–4 नोटिस बाबत लोक अदालत केम्प/कोर्ट में उपस्थित होने का जो कमांक 694 दिनांक 24.04.2018 को नरेश कुमार बनाम रूकमणीबाई के नाम का प्रकरण 1/16 की अपील के लिए जारी है यह नोटिस वादीगण द्वारा क्यो प्रस्तुत किया है इसको स्पष्ट नहीं किया है। प्रदर्श– 5 तहसीलदार बेगूँ द्वारा पत्र कमांक 84 दिनांक 12.09.84 के पत्र की सत्य प्रति है जो कि पटवार हलका कादून्दा को लिखा गया कि भू आवंटन निरस्त होने से कब्जे सरकार लेने। इस पत्र में अमरसिंह पिता केसरीमल महाजन को आवंटित मौजा कादून्दा की आराजी संख्या 426 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को निरस्त किये जाने से बिलानाम सरकार भूमि कब्जे सरकार लिये जाने का पत्र है।

प्रदर्श–6 नकल नामान्तरण संख्या 513 की है जिसमें अमरसिंह पिता केसरीमल महाजन को आवंटित आराजी मौजा कादून्दा की आराजी संख्या 426/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ द्वारा दिया गया है, जिस पर अलोटमेन्ट को निरस्त किये जाने का अंकन भी है। प्रदर्श–8 व प्रदर्श–9 राज्य सरकार को दफा 80 जा.दी का नोटिस प्रेषित किये जाने की रजिस्टर्ड रसीद की प्रति है तथा प्रदर्श– 10 रजिस्टर्ड सम्मन प्राप्ती की रसीद हैं। प्रदर्श– 11 नोटिस न्यायालय उप तहसीलदार बेगूँ द्वारा अमरसिंह लोढा को अतिक्रमण के लिए दिया गया है। तथा प्रदर्श– 12 पेनल्टी व निलामी की रसीद है जो राशि 310 की हैं तथा प्रदर्श– 13 भी पेनल्टी की रसीद राशि 350 रूप्ये की है। प्रदर्श– 14 भी पेनल्टी की रसीद राशि 150 की है। प्रदर्श–15 अतिक्रमण के नोटिस की प्रति है, तथा प्रदर्श–16 दफा 80 जा.दी. के नोटिस की प्रति है। इन सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा पत्रावली में गहनता से किया गया। प्रदर्श– 1 से यह तथ्य वाद पत्र का सही है कि वादीगण के पति एवं पिता अमरसिंह पिता केसरीमल महाजन को आवंटित की गई थी किन्तु उक्त भूमि का अमल राजस्व रिकोर्ड पर नहीं किया गया है। क्यो कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। साथ ही नामान्तरण.संख्या 378 है जिसमें बिलानाम सरकार की आराजी संख्या 426/1 कुल रकबा 15बीघा 10 बिस्वा भूमि मे से श्री अमरसिंह पिता केसरीमल महाजन सा. बेगूँ को 426/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन जरिये मिसल नम्बर 3663दिनांक 6.6.1983 से किया गया किन्तु जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ द्वारा उक्त भूमि का आवंटन भी तत्काल प्रदर्श– 6 नामान्तरण संख्या 513 से पुनः भूमि को आवंटन निरस्त करते हुए दिनांक 20.09.84 को प्रमाणित कर दिया। यानि इस आवंटन को निरस्त करने के विरूद्ध कोई कार्यवाही वादीगण या आवंटी द्वारा समक्ष न्यायालय में नहीं की गई। जहॉ तक आवंटनशुदा भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने का प्रश्न आता है हमारी विनम्र राय से

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (जिला चित्तौड़गढ़)

आवंटित भूमि पर आवंटन नियमो की शर्तो के तहत भूमि पर काबिज नहीं होकर काश्त नहीं किये जाने से आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वादीगण के पति व पति श्री अमरसिंह को आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी द्वारा नहीं किया जाने व काश्त नहीं किये जाने से आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है, जहाँ तक आवंटित भूमि पर कब्जा किये जाने का प्रश्न है, वादीगण द्वारा आवंटित भूमि पर ही कब्जा किया हुआ है या अन्य भूमि पर किया है, क्यो कि मौका रिपोर्ट के अनुसार आवंटित शुदा भूमि रकबा 2बीघा 10बिस्वा भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं होकर केवल 0.07 हैक्टर भूमि पर ही कब्जा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तथा प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श– 3 से भी स्पष्ट होता है कि मूल आराजी संख्या 426 मे से अब 2526/426 रकबा 1.22 हैक्टर भूकिम को श्री राजकीय भवन एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि जरिये नामा.सं. 1413 से अंकित किया गया है। तथा आराजी संख्या 2598/426 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि को राजकीय मध्यमिक विद्यालय कादुन्दा के खेल मैदान के लिए दर्ज रिकोर्ड किया हुआ है तथा आराजी संख्या 426/1 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कादुन्दा को 30 वर्ष की लीज पर दिये जाने का अंकन किया हुआ है। यानि मूल आराजी संख्या 426 मे अब कोई रकबा शेष नहीं रह जाता है। तो किस आधार पर वादीगण अपने कब्जेशुदा भूमि आराजी संख्या 426/1 के रकबे 2बीघा 10बिस्वा भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा सकते है। क्यो कि अब कोई रकबा ही शेष नहीं रहा है। वादीगण वर्णित भूमि पर कब से काबिज होकर क्या क्या काश्त करते आये है इसके सम्बन्ध में भी कोई ठोस दस्तावेज याथा खसरा गिरदावरी या बुवाई में वर्तमान में क्या है के सम्बन्ध में भी कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। जहाँ तक पूर्व के आवंटन की भूमि को वादीगण अपनी भूमि मानते हुए यह दावा लाये है जबकि उनका कही कब्जा काश्त ही नहीं है, इस प्रकार प्रस्तुत सभी दस्तावेज के आधार पर वादीगण मौजा कादून्दा की आराजी संख्या 426/2 रकबा 2बीघा 10 बिस्वा भूमि को अपने नाम पर खातेदारी में दर्ज कराने की घोषणा कर पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण राज्य सरकार है। इस दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण राज्य सरकार की ओर से उनके प्रतिनिधी पैरोकार सरकार के रूप में तहसीलदार बेगूँ द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए इस दावा पत्रावली में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हालॉकि प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से भी वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होता है, जैसा कि न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 में निर्णय किया गया है कि वादीगण के पिता व पति को आवंटित भूमि का अमल राजस्व रिकोर्ड में नहीं किया गया था क्यो कि आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से ही वर्ष 1983 के आवंटन को वर्ष 1984 में आवंटन निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध भी वादीगण ने कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय में नहीं की है। इसके अलावा वादीगण का कब्जा काश्त आवंटित पूर्ण रकबे पर नहीं है केवल 0.07 हैक्टर भूमि पर ही कब्जा है, जो कि एक अतिक्रमी की हैसियत से है। साथ ही वादीगण ने उनको आवंटित भूमि पर आवंटन होने से लेकर अब क्या क्या फसल बुवाई की है इस सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार दावा पत्रावली में कायम की गई तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र निरस्त किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेज से वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर. ए.एस.

दावा संख्या :— 16/2016

1. श्रीमती गणेश देवी विधवा पत्नि अमरसिंह जी लोढा निवासी बेगूं तह0 बेगूं
2. अनिल आत्मज स्व0 अमरसिंह जी लोढा निवासी बेगूं तह0 बेगूं
3. लोकेश आत्मज स्व0 अमरसिंह जी लोढा निवासी बेगूं तह0 बेगूं

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये कलेक्टर साहब चित्तौड़गढ़
2. श्रीमान तहसीलदार रसाहब बेगूं भूमिधारी

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री तहसीलदार बेगूं की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी. एक्ट में आज दिनांक 28.03.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है। 88 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :—

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेज से वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 28.03.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं